सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2023/73 दर्ज तिथिः—22.03.2024

1. बादली देवी पत्नी ईश्वरलाल
   जाति विश्नोई निवासी इन्द्रा कॉलोनी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. अजा पुत्र सोना
2. अमरा पुत्र सोना
3. कमला पुत्री सोना
4. कृष्ण पुत्र हरजी
5. खुशालाराम पुत्र हरजी
6. गौतम पुत्र धनाराम
7. चैला पुत्र सोना
8. तेजाराम पुत्र मोडूराम
9. तारी पत्नी हरजी
10. दरिया पत्नी मोडूराम
11. देवाराम पुत्र सोना
12. दिनेश पुत्र मोडूराम
13. प्रकाशचन्द पुत्र धनाराम
14. पीराराम पुत्र सोना
15. बुधराम पुत्र सोना
16. बाजु पत्नी सोना
17. भवा पुत्र सोना
18. भीमा पुत्र हरजी
19. रमेश कुमार पुत्र धनाराम
20. लुणा पुत्र हरजी
21. सावलाराम पुत्र मोडूराम
    जाति मेगवाल निवासी सीलू तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
22. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

..................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.21 19:22:23 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—24.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 8/3/2.4767 है0 मौजा सीलू तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 8/3.0432 है0 मौजा सीलू तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा एक 08 मौजा सीलू तहसील गुडामालानी ही था। भू—पैमाईश के पश्चात् प्रार्थीनी का उक्त खातेदारी खसरा अलग हुआ। जिसको प्रार्थीनी द्वारा हाल ही क्रय किया गया है। प्रार्थीनी के अपने खातेदारी खेत पर कब्जा निर्बाध रूप से चल रहा है। प्रार्थीनी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में दायर आवेदन संख्या 54/2022 बउनवान बादली बनाम अजा में आवेदन स्वीकार करते हुए दिनांक 18.07.2022 को प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी की नेखमबंदी हेतु आदेश पारित किया गया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.11.2022 को प्रार्थीनी के खसरा संख्या 8/3 की नेखमबंदी की कार्यवाही की गई। जिसमें प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 8/3 में मौका, रिकॉर्ड व लट्ठा ट्रैस में भिन्नता पाई गई। उक्त नेखमबंदी पालना रिपोर्ट से प्रार्थीनी को ज्ञात हुआ कि प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 8/3 की तरमीम लट्ठा ट्रैस में कम है तथा लट्ठा ट्रैस एवं मौके पर भिन्नता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ता 05, 09, 11 ता 12, 14, 18, 20 ता 21 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 05, 09, 11 ता 12, 14, 18, 20 ता 21 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 05, 09, 11 ता 12, 14, 18, 20 ता 21 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.21 19:22:23 IST
Reason: SelfAttested

किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

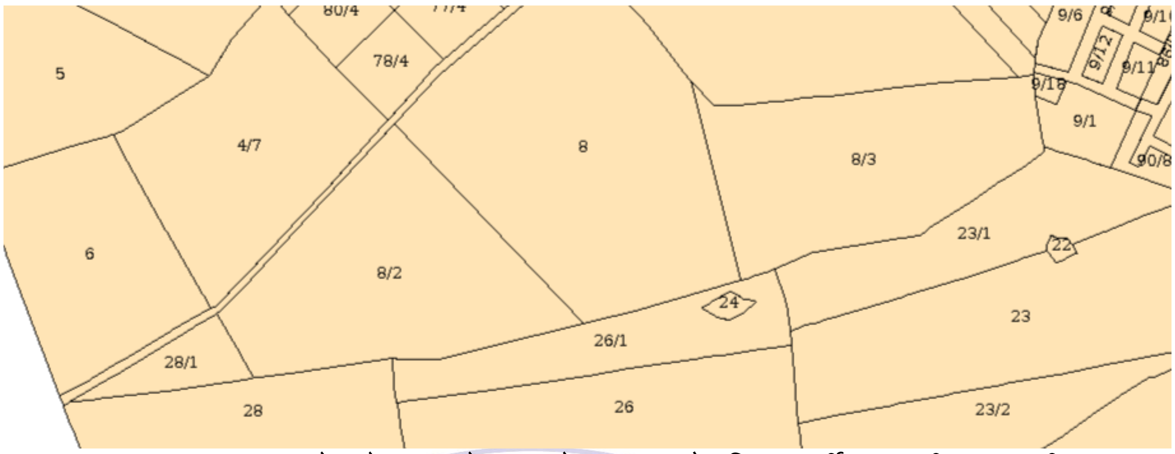

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 8/3 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 08 मौजा सीलू तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

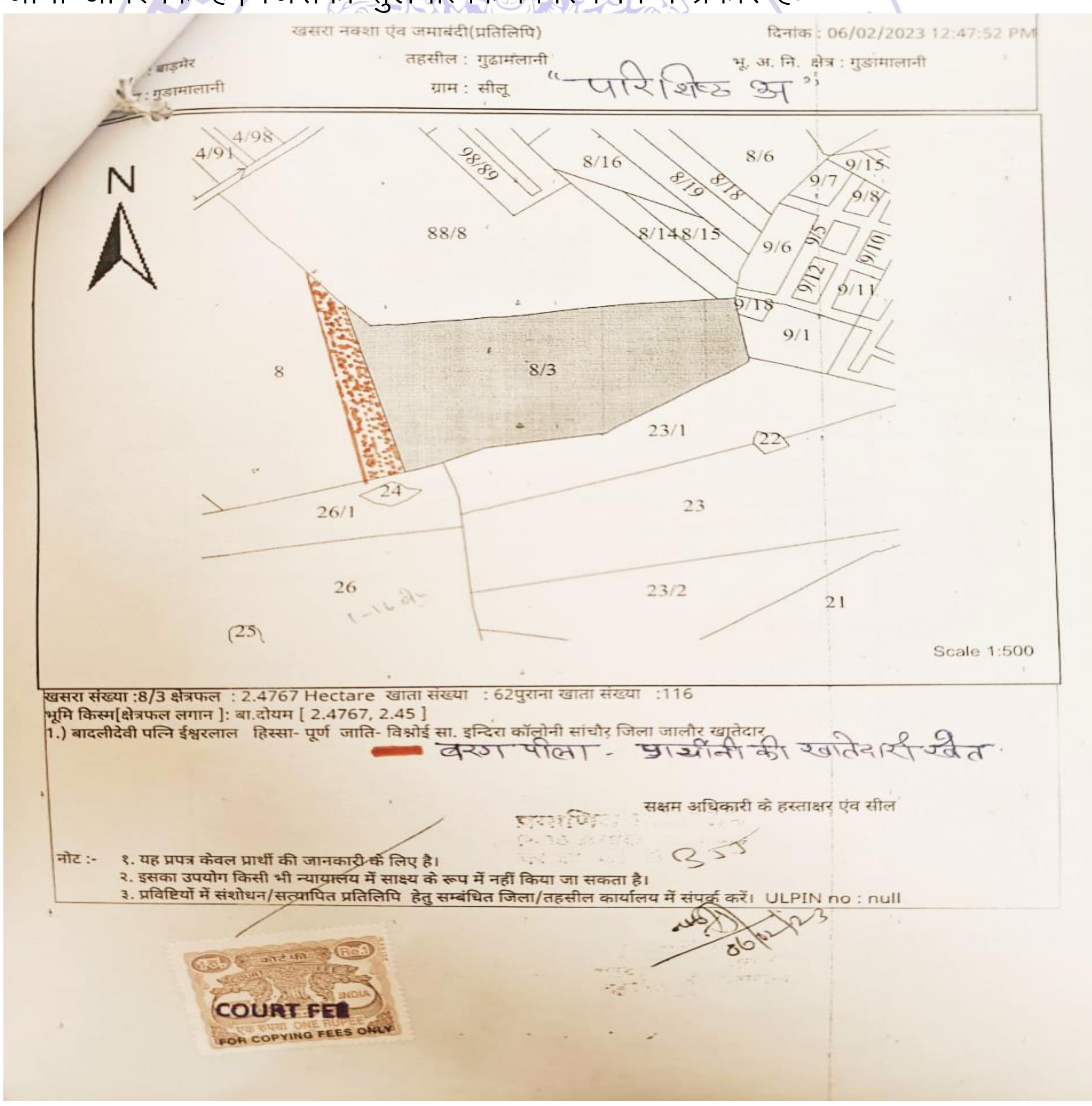
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 06/02/2023 12:47:52 PM

: बाड़मेर तहसील : गुढामलानी भू. अ. नि. क्षेत्र : गुडामालानी

: गुडामालानी ग्राम : सीलू "परिशिष्ट अ"

खसरा संख्या :8/3 क्षेत्रफल : 2.4767 Hectare खाता संख्या : 62पुराना खाता संख्या :116
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.दोयम [2.4767, 2.45]
1.) बादलीदेवी पत्नि ईश्वरलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्नोई सा. इन्दिरा कॉलोनी सांचौर जिला जालौर खातेदार

वर्ग पीला - प्रार्थीनी की खातेदारी खेत

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

06/02/23

COURT FEE
FOR COPYING FEES ONLY

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.21 19:22:23 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2315 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2315 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

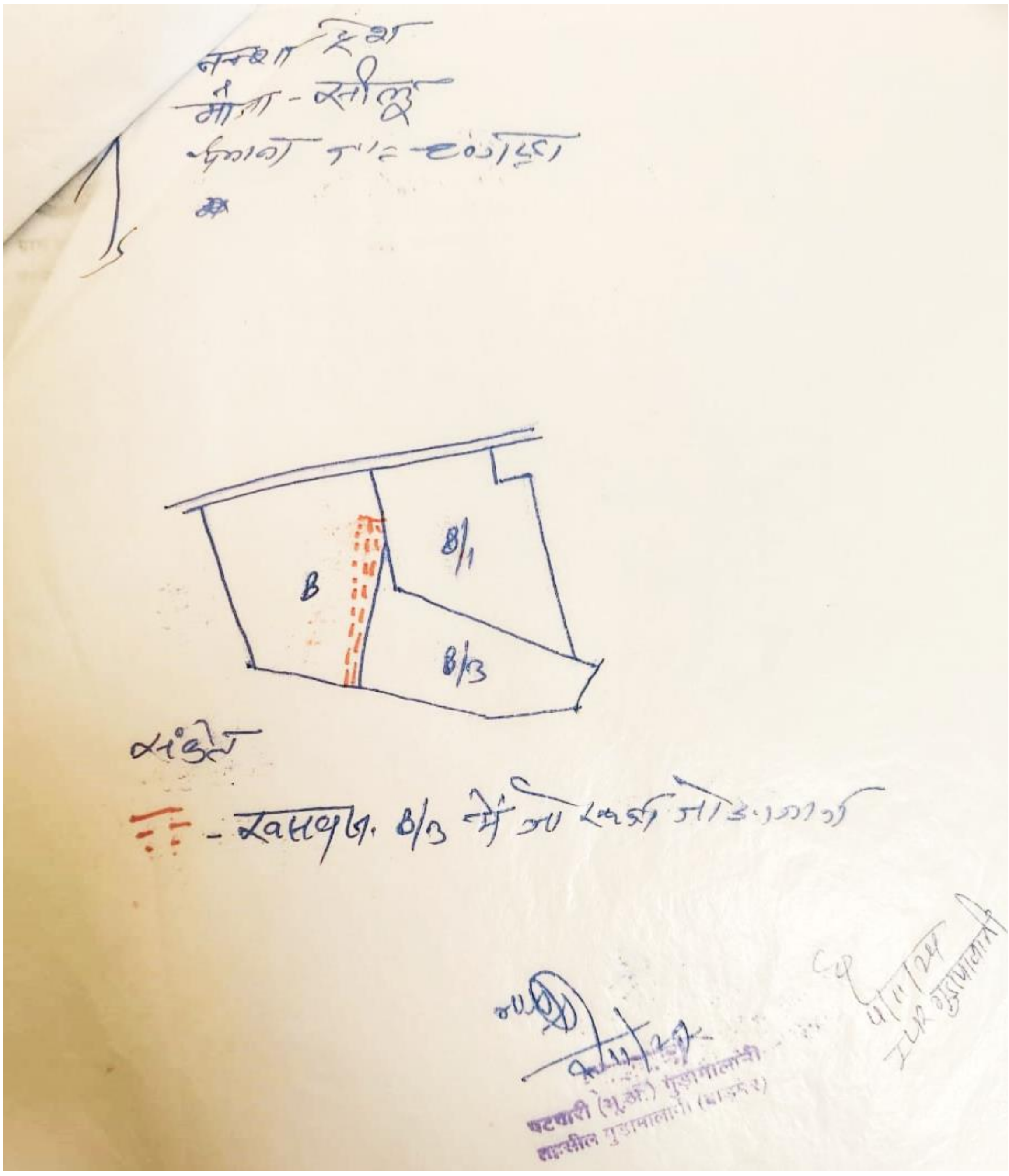

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2315 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. ग्राम सीलू खसरा संख्या 8 / 3 रकबा 2.4767 है0 जमाबंदी में दर्ज है। जबकि राजस्व नक्शा में (लट्ठा ट्रैस) रकबा बरारी करने पर 2.2339 है0 रकबा है। जो कि 0.2428 है0 कम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.21 19:22:23 IST
Reason: SelfAttested

2. ग्राम सीलू खसरा संख्या 08 रकबा 3.0437 है0 जमाबंदी दर्ज है। जबकि राजस्व नक्शा में (लट्ठा ट्रैस) रकबा बरारी करने पर 3.286 है0 रकबा है। जो कि 0.2428 है0 अधिक है।
3. खसरा संख्या 8/3 व खसरा संख्या 08 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।
4. खसरा संख्या 8/3 की तरमीम खसरा संख्या 08 में समान्तर नहीं बढाई जाकर संलग्न नक्शा में बरंग लाल अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2315 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 08/3 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 08 मौजा सीलू तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2315 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2315 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/2315 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.21 19:22:23 IST
Reason: SelfAttested